सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

[illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

[illegible]/2017

1. [illegible] सिंह पुत्र
2. [illegible] सिंह पुत्र
3. [illegible]बाई पुत्री

} जसवंत सिंह जाति राजपूत निवासी बोहत तह0 मांगेराल जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. जसवंत सिंह पुत्र शार्दुल सिंह जाति राजपूत निवासी बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री के0 के0 सोनी

दायरा दिनांक: 01.01.2018

निर्णय दिनांक : 01.01.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या नया 244 पुराना 292 की आराजी खसरा नं0 3059 रकबा 3.75 है0, खसरा नं0 3060 रकबा 4.14 है0, खसरा नं0 3061/3169 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 3064/3170 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 रकबा 8.24 है0 आराजी स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 245 पुराना 235 की आराजी खसरा नं0 2552 रकबा 1.42 है0 स्थित है। उक्त आराजी जसवन्त सिंह पुत्र शार्दुलसिंह के पिता अर्जुन सिंह की खातेदारी से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण के हिस्से को नकार रहे है तथा जीवन यापन हेतु कोई खर्चा इत्यादि व सुविधा ना देकर आराजियात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है उक्त आराजियात वादीगण के पिता प्रतिवादी क्रम 1 जसवन्त सिंह को अपने पिता शार्दुलसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है तथा आराजियात में वादीगण का जन्म से अधिकारी निहित है। वादीगण आराजियात में अपना 1/4–1/4–1/4 हिस्से के रूप में राजस्व रेकार्ड में खातेदारी घोषित कराकर अपना नाम अंकन कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या नया

की आराजी खसरा नं0 3059 रकबा 3.75 है0, खसरा नं0 3060 रकबा 4.14 है0, खसरा नं0 ... रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 3064/3170 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 रकबा 8.24 है0 इसी ... खाता संख्या नया 245 पुराना 235 कीं आराजी खसरा नं0 2552 रकबा 1.42 है0 में वादी कम 1 ता ... 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत ना करे तथा शाती पूर्वक काश्त करने देवे तथा आराजियात को खूर्द–बुर्द ना करे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 01.01.2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या नया 244 पुराना 292 की आराजी खसरा नं0 3059 रकबा 3.75 है0, खसरा नं0 3060 रकबा 4.14 है0, खसरा नं0 3061/3169 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 3064/3170 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 रकबा 8.24 है0 इसी प्रकार खाता संख्या नया 245 पुराना 235 की आराजी खसरा नं0 2552 रकबा 1.42 है0 आराजी में प्रत्येक को 1/4 हिस्सा स्वीकार योग्य है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या नया 244 पुराना 292 की आराजी खसरा नं0 3059 रकबा 3.75 है0, खसरा नं0 3060 रकबा 4.14 है0, खसरा नं0 3061/3169 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 3064/3170 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 रकबा 8.24 है0 इसी प्रकार खाता संख्या नया 245 पुराना 235 की आराजी खसरा नं0 2552 रकबा 1.42 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।